राजस्थान सरकार
150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग
खनिज भवन, शास्त्री सर्कल, उदयपुर
e-mail : dmgoms.uda.mg@rajasthan.gov.in

क्रमांक : DMG/DMGOMS/MISC/2022/233 दिनांक: 26-04-2023

कार्यालय आदेश

विभाग के सभी संबंधित अधिकारीयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षैत्राधिकार में किसी भी स्टॉकिस्ट का रजिस्ट्रेशन करते समय स्टॉक तथा जगह का वेरिफिकिशन करना सुनिश्रिचत करें ।

प्रायः यह देखा गया है कि अधिकारीयों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिकों को भेज कर स्टॉक के वेरिफिकेशन की खानापूर्ति कर ली जाती है, जिससे की गलत स्थान अथवा स्टॉक के वेरिफाई होने तथा अधिकारी के एसएसओ आईडी के गलत उपयोग की संभावना रहती है।

अतः सभी अधिकारी किसी अन्य के भरोसे नहीं रहते हुए सभी तरह के स्टॉक वेरिफिकेशन तथा रिपोर्ट जनरेट करनें का कार्य स्वयं ही करें तथा निदेशालय को ऑनलाईन से जनरेट रिपोर्ट प्रेषित करने से पूर्व कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित कर क्रॉस वेरिफाई अवश्य किया जावे । उपरोक्तानुसार सभी कार्य विभाग के अधिकारीयों की आवश्यक ड्यूटी में निहित है ।

यदि किसी वजह से किसी भी अधिकारी द्वारा गलत स्टॉक/स्थान का वेरिफिकेशन हो गया है , तो ऐसे मामलों का पुनः सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करें । प्रायः वे ब्रिज पर खनिज वाहन तुलाई के संबंध में भी शिकायत प्राप्त होती है , अतः वे ब्रिज के सत्यापन का कार्य नियमित किया जावे ।

कार्यालय क्षैत्राधिकार में यदि डीएमसीओएमएस (ऑनलाईन सिस्टम) में किसी तरह की अनियमितताएं पाई जाती हैं तो तुरन्त कठोर कार्यवाही करवाया जाना तथा इस संबंध में नोडल अधिकारी (डीएमजीओएमएस) को सूचित करते हुए कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

उपरोक्तानुसार आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें ।

संदेश नायक , आईएएस
निदेशक
खान एवं भूविज्ञान विभाग
राजस्थान, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Sandesh Nayak
Designation : Director
Date: 2023.04.26 ..:45:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3713350

Scanned with CamScanner